प0 ... I.P.O
... पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक ... को पेश हो।

01.08.2024 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 07 के से श्री सुनिल नटवाड़िया एडवोकेट ने मैमो पेश किया। बहस प्रार्थी सुनी गयी। दौराने वहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमा पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। वकील अप्रार्थी भी मु सीमाज्ञान पत्थरगढी किये जाने पर सहमत हैं। बहस पर मनन गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुता राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 275–2078 राजस्व ग्राम अण्टाला प हल्का भगेगा तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 22, 23 कुल 02 कुल रकबा 4.63 हैक्ट0 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक स मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रा पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रा0 पत्र 939/2
निर्णय दिनांक 31.07.2

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीक किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है **राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम अण्टाला पटवार हल्का भगेगा तहसी नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 22, 23 कुल किता 02 कुल रकबा 4.6 हैक्ट0 प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्य संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 09.05.2022 पत्थरगढ़ी क जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखल की कार्यवाही नहीं की जावें।** तहसीलदार नीमकाथाना को इस हे तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्त दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.03.26 11:34:35 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner